सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 19.08.2026

जनपद-आजमगढ़

01.थाना–तरवां, जनपद आजमगढ़

ब्यूटी पार्लर में चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के ₹25,050/- बरामद

ब्यूटी पार्लर से ₹40,200/- चोरी करने की घटना का किया गया सफल अनावरण।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की धनराशि ₹25,050/- बरामद।

सीसीटीवी फुटेज एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की पहचान कर की गयी गिरफ्तारी।

पूर्व की घटना—

दिनांक 16.08.2026 को वादी संजय कुमार मौर्य पुत्र झिल्लर मौर्य, निवासी ग्राम उंचहुवां, पोस्ट उंचहुवां, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 13/14.08.2026 की रात्रि करीब 01:20 बजे वह अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान गांव का ही विनोद चौहान पुत्र हरिनाथ चौहान, निवासी ग्राम उंचहुवां (जोलवरिया), पोस्ट उंचहुवां, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ पीछे से घर में चढ़कर ब्यूटी पार्लर की दुकान में रखा ₹40,200/- चोरी कर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी। तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0 175/2026 धारा 333, 305, 331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 रमेश कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण—

आज दिनांक 18.08.2026 को उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह पुलिस बल के उंचहुआ तिराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त विनोद चौहान पुत्र हरिनाथ चौहान, उम्र करीब 24 वर्ष, को जुंआ गांव जाने वाले मार्ग पर दर्रो मोड़ स्थित पुलिया के पास से समय करीब 06:35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से ₹25,050/- चोरी की धनराशि बरामद हुई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 175/2026 धारा 333, 305, 331(4) बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी—

₹25,050/- चोरी की धनराशि।

गिरफ्तार अभियुक्त—

विनोद चौहान पुत्र हरिनाथ चौहान, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम उंचहुवां (जोलवरिया), पोस्ट उंचहुवां, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 रमेश सिंह, का0 कमलेश यादव, का0 विशाल यादव, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ ।

02. थाना – सिधारी, जनपद आजमगढ़

ठगी करने वाला 01 शातिर अंतर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ठगी की गयी 01 जोड़ी पायल बरामद

महिला को 20 लाख रुपये होने का झांसा देकर आभूषण ठगने की घटना का किया गया सफल अनावरण।

अभियुक्त के कब्जे से ठगी की गयी 01 जोड़ी सफेद धातु की इस्तेमाली घुंघरूदार पायल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद मैनपुरी में भी ठगी/धोखाधड़ी से संबंधित अभियोग पंजीकृत

पूर्व की घटना—

दिनांक 23.07.2026 को वादिनी श्रीमती शुभावती देवी पत्नी कैलाश यादव, निवासी ग्राम चलिसवां, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ द्वारा बताया गया कि वह दिन में करीब 13:30 बजे अपने घर से मायके बिलरियागंज जा रही थीं। रास्ते में दो अपरिचित व्यक्ति मिले, जिन्होंने बातचीत में उन्हें अपने झांसे में लेकर बऊरहवा बाबा मंदिर के सामने ले गये। वहां उक्त व्यक्तियों द्वारा वादिनी के कान की झाली, गले का लॉकेट एवं चांदी की पायल ले ली गयी तथा बदले में कपड़े में सिली हुई कागज की गड्डी देते हुए बताया गया कि इसमें ₹20 लाख रुपये हैं। वादिनी द्वारा वहां से टेम्पो पकड़कर आगे जाने पर कागज की गड्डी होने की जानकारी हुई। इस प्रकार उक्त व्यक्तियों द्वारा वादिनी को बहला-फुसलाकर ठगी की गयी। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 305/2026 धारा 318(4), 3(5), 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण—

दिनांक 18.08.2026 को उ0नि0 मनीष मिश्र मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अर्जुन सोलंकी पुत्र नाथूराम सोलंकी, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी जे0जे0 कालोनी सेवदा, थाना कंझावला, जनपद रोहिणी, दिल्ली को रेलवे स्टेशन तिराहे के पास से समय करीब 13:50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से ठगी की घटना से संबंधित 01 जोड़ी सफेद धातु की इस्तेमाली घुंघरूदार पायल बरामद हुई।

पूछताछ का विवरण—

गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन सोलंकी से पूछताछ करने पर उसने अपने कृत्य पर माफी मांगते हुए अपनी सफाई माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही।

पंजीकृत अभियोग—

मु0अ0सं0 305/2026 धारा 318(4), 3(5), 317(2) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी— 01 जोड़ी सफेद धातु की इस्तेमाली घुंघरूदार पायल।

गिरफ्तार अभियुक्त—

अर्जुन सोलंकी पुत्र नाथूराम सोलंकी, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी जे0जे0 कालोनी सेवदा, थाना कंझावला, जनपद रोहिणी, दिल्ली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 मनीष मिश्र, का0 नीरज यादव, रि0का0 अजीत सिंह, रि0का0 नीरज यादव, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

03. थाना – तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के ₹30,000/- थाना तहबरपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही से पीड़ित के खाते में वापस कराये गये

फ्रॉडर द्वारा परिचित बनकर भेजे गये फर्जी ₹45,000/- के मैसेज पर विश्वास कर पीड़ित ने ₹30,000/- कर दिये थे ट्रांसफर।

साइबर हेल्पलाइन नंम्बर 1930 पर तत्काल शिकायत के बाद साइबर पुलिस टीम ने ₹30,000/- की धनराशि होल्ड करायी।

पूर्व की घटना—

दिनांक 12.06.2026 को आवेदक देवेन्द्र नाथ राय पुत्र रामलखन राय, निवासी ग्राम बीबीपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर स्वयं को गुप्ता जी बताते हुए कहा गया कि उनके पिता उसे भली-भांति जानते हैं। उक्त व्यक्ति ने बताया कि उसका रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है तथा वह आवेदक के खाते में ₹15,000/- भेज रहा है, जिसे उसके घरवालों के खाते में भेजना है।

कुछ देर बाद आवेदक के मोबाइल पर ₹45,000/- प्राप्त होने का मैसेज आया। आवेदक द्वारा बिना बैंक खाते का बैलेंस चेक किये विश्वास में आकर फ्रॉडर के खाते में ₹30,000/- ट्रांसफर कर दिये गये। ठगी का एहसास होने पर आवेदक द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करायी गयी, जिसका एक्नॉलेजमेंट नं0 33106260135980 है।

धनराशि वापसी का विवरण—

साइबर शिकायत की जांच उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी द्वारा की गयी। जांच में पाया गया कि आवेदक द्वारा अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से दिनांक 12.06.2026 को ट्रांजेक्शन नं0 616330234470 के माध्यम से ₹30,000/- फ्रॉडर के खाते में भेजे गये थे। साइबर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फ्रॉडर के खाते में उक्त ₹30,000/- की धनराशि होल्ड करायी गयी।

आवेदक को आवश्यक न्यायालयी प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराया गया। कोर्ट आर्डर प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित बैंक को ई-मेल के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्राचार किया गया, जिसके फलस्वरूप ₹30,000/- की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में वापस करा दी गयी।

साइबर पुलिस टीम—

उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी, म0का0 दिव्या शुक्ला, का0 किशन कुमार मिश्रा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

आमजन से अपील

आजमगढ़ पुलिस की अपील है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के फोन कॉल, मैसेज अथवा खाते में रुपये भेजे जाने के दावे पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करायें तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत करें।

04. थाना – देवगांव, जनपद आजमगढ

➡ नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से आभूषण झपटने/ टप्पेबाजी करने वाले शातिर अन्तर्जनपदीय अपराधी से थाना देवगांव पुलिस की मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार

➡ अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा/खोखा कारतूस, मोटरसाइकिल, लूटे गये आभूषण एवं ₹850/- नकद बरामद

➡ लूटे गये आभूषण खरीदने वाला सुनार भी गिरफ्तार, उसके कब्जे से 01 जोड़ी कान का टप्स बरामद

➡ गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आजमगढ़, वाराणसी एवं चंदौली में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट सहित कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत

पूर्व की घटना / इतिहास –

दिनांक 17.08.2026 को वादी मुकदमा अमित प्रताप सिंह पुत्र अवधेश सिंह, निवासी ग्राम जियासड़, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर तहरीर दी गयी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 03-04 दिन पूर्व लालगंज तहसील के सामने उनकी माता को उनके पुत्र को नौकरी दिलाने का झांसा देकर केराकत तहसील ले जाया गया तथा उनके पहने हुए कान के टप्स एवं सहारा को झपट्टा मारकर छीन लिया गया। इस संबंध में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 293/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना सकलडीहा, जनपद चंदौली के मु0अ0सं0 180/2023 धारा 379, 420, 411 भादवि में उसके विरुद्ध आरोप पत्र संख्या A-1 दिनांक 30.12.2023 मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। उक्त अभियोग में चोरी, धोखाधड़ी एवं चोरी की संपत्ति रखने का अपराध प्रमाणित पाया गया था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट वाराणसी के विभिन्न थानों में भी धोखाधड़ी, चोरी, विश्वासघात एवं अन्य आपराधिक धाराओं में अभियोग पंजीकृत होने की जानकारी प्रकाश में आयी है।

मुठभेड़ का विवरण –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों एवं शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17/18.08.2026 की रात्रि थाना देवगांव पुलिस द्वारा रात्रि गश्त, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक शातिर अपराधी मोटरसाइकिल से पल्हना-लहुवाँ मार्ग की ओर आ रहा है, जिसके पास अवैध असलहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की गयी। कुछ देर बाद नसीरपुर की तरफ एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया लेकिन पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार भागने लगा, जिसका पुलिस द्वारा पीछा किया गया। नसीरपुर पुलिया के पास मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गयी। पुलिस टीम द्वारा रुकने के लिए कहने पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस टीम द्वारा पर्याप्त चेतावनी के पश्चात आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी फायरिंग की गयी, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु 100 शैय्या संयुक्त अस्पताल लालगंज भेजा गया। घायल अभियुक्त की पहचान शमीम उर्फ सूरज उर्फ मुमताज उर्फ बब्लू यादव उर्फ समीर अंसारी पुत्र स्व0 मो0 शरीफ, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी डीएलडब्ल्यू जलालीपट्टी, थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी, हालपता ग्राम निधौरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली के रूप में हुई। अभियुक्त द्वारा छीने गये आभूषणों में से एक जोड़ी टप्स सुनार दिनेश वर्मा पुत्र रामअवतार वर्मा, निवासी वार्ड नं0 12, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर को दिये जाने की जानकारी पर पुलिस द्वारा उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 01 जोड़ी कान का टप्स पीली धातु बरामद हुआ।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना देवगांव पर मु0अ0सं0– 294/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0–293/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0–294/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस, धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त –

1. शमीम उर्फ सूरज उर्फ मुमताज उर्फ बब्लू यादव उर्फ समीर अंसारी पुत्र स्व0 मो0 शरीफ, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी डीएलडब्ल्यू जलालीपट्टी, थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी, हालपता ग्राम निधौरा, थाना बलुआ, जनपद चंदौली। (गिरफ्तार/घायल)

3. दिनेश वर्मा पुत्र रामअवतार वर्मा, उम्र करीब 45 वर्ष निवासी वार्ड नं0 12, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर, पेशा – सुनार।

बरामदगी –

अभियुक्त शमीम उर्फ सूरज के कब्जे से –

01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर,

01 मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर नं0 PB10CK5791, 01 जोड़ी कान का सहारा पीली धातु, ₹850/- नकद

अभियुक्त दिनेश वर्मा के कब्जे से –

01 जोड़ी कान का टप्स पीली धातु।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 180/2023 धारा 379, 420, 411 भादवि, थाना सकलडीहा, जनपद चंदौली।
2. मु0अ0सं0 0146/2023 धारा 120-B, 420 भादवि, थाना कोतवाली काशी, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 0086/2017 धारा 376, 411, 420 भादवि, थाना कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 0058/2015 धारा 406, 420 भादवि, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. मु0अ0सं0 0464/2023 धारा 120-B, 379, 411, 413, 420 भादवि, थाना सारनाथ, कमिश्नरेट वाराणसी।

मुठभेड़/गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम –

थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, उ0नि0 रवीन्द्र नाथ पाण्डेय, उ0नि0 विनय कुमार सिंह, उ0नि0 राजेश कुमार सिंह, हे0का0 जितेन्द्र सिंह, हे0का0 संजय कुमार दूबे, का0 कृष्ण कुमार सिंह, का0 आनन्द कुमार, का0 सूर्यकान्त, रि0का0 देवेश कुमार गुप्ता, रि0का0 कमरान अंसारी एवं का0 सुमन प्रभात राय चालक, रि0का0 संदीप कुमार सिंह, रि0का0 तेजस शुक्ला, रि0का0 अमित तिवारी एवं हो0गा0 प्रमांशु राय थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।

जनपद-मऊ

01.दहेज हत्या में वांछित 02 नफर अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेशदत्त मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना मधुबन पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.08.2026 को ग्राम सिकडीकोल से मु0अ0सं0- 147/2026 धारा- 115(2), 352, 85, 80(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. संजय कुमार पुत्र रामसरीख प्रसाद निवासी सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ, 2. कौशल्या देवी पत्नी रामसरीख प्रसाद निवासी सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>

1. संजय कुमार पुत्र रामसरीख प्रसाद निवासी सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ।
2. कौशल्या देवी पत्नी रामसरीख प्रसाद निवासी सिकडीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण</u>

1. मु0अ0सं0- 147/2026 धारा- 115(2), 352, 85, 80(2) BNS व 3/4 डीपी एक्ट।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान</u>

1. दिनांक 18.08.2026
2. स्थान - ग्राम सिकडीकोल

<u>02. शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.08.2026 को सरवां (मोछू मोड) के पास से मु0अ0सं0- 279/2026 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त संजय मौर्या पुत्र जगदीश मौर्या निवासी बरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. संजय मौर्या पुत्र जगदीश मौर्या निवासी बरपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 279/2026 धारा 69 बीएनएस थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान

1. दिनांक 18.08.2026
2. स्थान - सरवां (मोछू मोड) के पास

<u>जनपद -बलिया</u>

<u>01.थाना सहतवार जनपद बलिया साईबर पुलिस टीम ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़ित के बैंक खाता से धोखाधड़ी/ठगी कर निकाली गई धनराशि को होल्ड कराते हुये Money Restoration Portal पर 106(3) BNSS के तहत फ्राड धनराशि पीड़ित के खाते में कराया गया वापस।</u>

उल्लेखनीय है कि पीड़ित/ आवेदक श्री मुहम्मद इरफान अंसारी पुत्र मुहम्मद अली हुसन अंसारी निवासी बिसौली थाना सहतवार जनपद बलिया के बैंक खाते से दिनांक-25.01.2025 को रु0- 2500/- का फ्राड किया गया। जिसकी जानकारी होने पर पीड़ित/ आवेदक उपरोक्त द्वारा NCRP व थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज कराया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) बलिया महोदय श्री दिनेश कुमार शुक्ल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बांसडीह महोदय श्री जय शंकर मिश्र के मार्गदर्शन में थाना सहतवार साईबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा संबंधित बैंकिंग संस्थाओं एवं तकनीकी माध्यमों से धोखाधड़ी की गई धनराशि रु0- 2500/- रुपये को होल्ड कराया गया। तत्पश्चात MRM PORTAL पर धारा 106(3) BNSS के तहत होल्ड धनराशि 2500/- रुपये को दिनांक 17/08/2026 को आवेदक उपरोक्त के बैंक खाते में वापस कराया गया है। अपनी धनराशि वापस प्राप्त होने पर आवेदक/ पीड़ित उपरोक्त द्वारा बलिया पुलिस एवं थाना- सहतवार पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सराहना की गई।

थाना सहतवार पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष प्रशान्त चौधरी थाना सहतवार जनपद बलिया।
2.उ0नि0 सुधाकर थाना सहतवार जनपद बलिया।
3.क0आ0 नन्दलाल थाना सहतवार जनपद बलिया।
4.का0 शिव प्रसाद थाना सहतवार जनपद बलिया।
5.म0का0 कल्पना शर्मा थाना सहतवार जनपद बलिया।

02. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के मामले में 04 नफर अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 18.08.2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना खेजुरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-466/2015 की धारा- 2/3(1) यूपी गैंग0 एक्ट में 04 नफर अभियुक्तगण – 1. अमित उर्फ मन्नू पुत्र धनजी, 2. जितेन्द्र पुत्र कन्हैया, 3. राजेश उर्फ गामा पुत्र धनीराम, 4. लालू उर्फ रंजीत पुत्र बब्बन राम निवासीगण अखैनी थाना खेजुरी जनपद बलिया को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-1/विशेष न्यायाधीश गैंग0 एक्ट जनपद बलिया द्वारा- धारा 2/3(1) यूपी गैंग0 एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगणों को 02-02 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।